न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

(10)

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

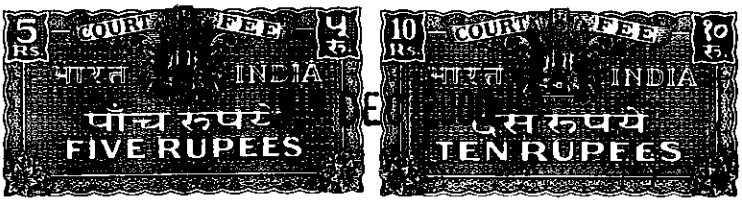

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-357-II/2001

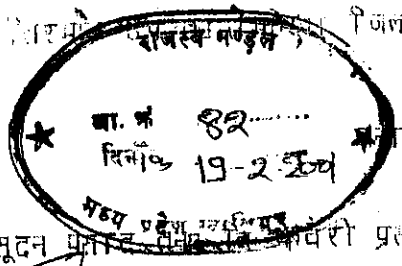

क्रमांक 499//2001 13/2

RP2430
19-2-2001

मैनाराम नाई तनय ज्ञगडू उर्फ रामविशपाली नाई, निवासी ग्राम कुम्हरा तह. सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.)

---- निगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
आ. क्रं. 82
दिनांक 19-2-2001

बनाम

मधुसूदन प्रसाद तनय ... [illegible] सी प्रसाद, नि.कुम्हरा तह. सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

---- गैर निगरानीकर्ता

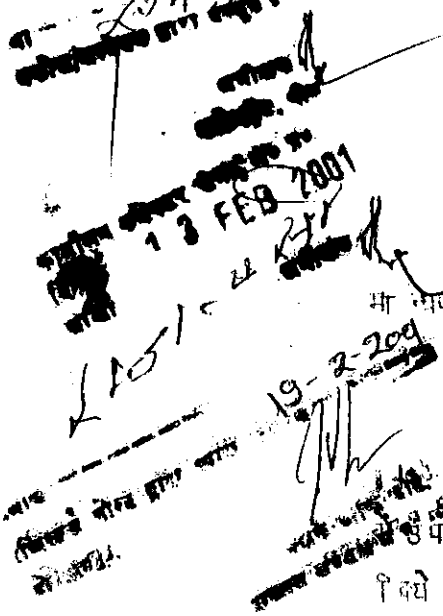

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्र.क्र. 596/अपील/95-96 निर्णय दिनांक 23.11.2000.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

13 FEB 2001

19-2-2001

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्याया. के द्वारा पारित आदेश प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं विधि प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्याया. के द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कतई अवलोकन व परीक्षण नहीं किया गया है जिससे निगरानीकर्ता लाभ पाने से वंचित रह गया है और अधीनस्थ न्याया. माननीय नायब तहसीलदार तहसील सिरमौर उप तह.सेमरिया द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित आदेश माननीय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा निरस्त करते हुए गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है अतः अधीनस्थ न्याया. का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा सीमांकन के बाद गढ़ाया गया पत्थर हटाया है पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है लेकिन अधीनस्थ

....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 357–दो/01 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–16	आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 596/अपील/95–96 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कतई अवलोकन व परीक्षण नहीं किया गया, जिससे आवेदक लाभ पाने से वंचित रह गया है और विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सिरमौर उप तहसील सेमरिया द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित आदेश अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर द्वारा निरस्त करते हुये अनावेदक के पक्ष में अपील स्वीकार करने में भूल की है। अनावेदक द्वारा सीमांकन के बाद गढ़ाया गया पत्थर हटाया है। पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस का पर गौर नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का सही ढंग से विवेचना न करके कानूनी भूल की है । आवेदक का विवादित भूमि पर पुस्तैनी कब्जा दखल चला आ रहा है व मौके पर भी काबिज दाखिल है लेकिन	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार न करके आदेश पारित किया है जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ मैंने आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने विवादित भूमि पर किया गया पूर्व के सीमांकन चिन्ह(पत्थर) को हटाकर अन्यत्र दिया है जिसके लिये म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 130 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11.06.96 के जरिये आदेश दिया । आवेदक ने इसी आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुये, यह भी लिखा की अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में नायब तहसीलदार का आदेश पुनरीक्षण योग्य था न की अपील योग्य । आवेदक के अभिभाषक ने इन्हीं बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया है कि आवेदक ने पूर्व में किये गये सीमांकन के पत्थर को अन्यत्र हटा दिया जैसा कि पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 130 के तहत ही कार्यवाही की जावेगी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 25.04.95 अंतिम आदेश है, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण के बजाये अपील ही की जावेगी। इस प्रकरण में अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश में अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, और इसी स्तर पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक

11.06.96 को यथावत रखा है। मैं अपर आयुक्त के इस निर्यण सहमत हूँ।

5/ अतएव प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश का आदेश दिनांक 23.11.2000 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य